न्यायालय : विशेष न्यायिक न्यायाधीश, (दस्यु प्रभावित क्षेत्र),एटा
एस0एस0टी0 संख्या 108 वर्ष 2014
विजय पाल उर्फ पप्पू – प्रति – जबर सिंह आदि
03.05.2016

पत्रावली पेश हुई । पत्रावली वास्ते आदेशार्थ नियत है। पत्रावली का परिशीलन किया ।

प्रार्थनपत्र 13ब प्रार्थीगण जबर सिंह,पुष्पेन्द्र व जितेन्द्र की ओर से इस आशय का दिया गया है कि घटना दिनांक 05.08.2011 शाम करीब 6.00 बजे की परिवाद में अंकित की गयी है तथा परिवाद में घटना जिस तरह से अंकित की गयी है उस तरह से कोई घटना घटित नहीं हुई। प्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से बिना किसी औचित्यपूर्ण आधार के प्रार्थी जबरसिह के साथ परिवादी विजयपाल व उसके राजू पिता रविलाल आदि ने मारपीट की । जिसके समबन्ध में प्रार्थी जबर सिंह ने थाना में एन0सी0आर0 दिनांक 20.10.2008 को अंकित कराई । उसके शरीर में आयी चोटें के कारण चिकित्सीय परीक्षण भी कराया । जिससे क्षुब्ध होकर बिना किसी घटना के परिवादी विजय पाल के द्वारा झूॅठा प्रार्थनापत्र धारा 156(3) दं0प्र0सं0 श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें अपने सम्बन्धी व रिश्तेदारों को साक्षी दर्शाकर झूॅठी गवाही अंकित कराई। घटना जो कि कतई अप्रत्याशित व अप्राकृतिक है में न्यायालय को गुमराह करके आदेश दिनांकित 23.12.2014 करा लिया है। जबकि प्रार्थी जबर सिंह द्वारा प्रस्तुत वाद में विजय पाल, संजू व रविलाल तथा रूप सिंह की सजा न्यायालय कक्ष संख्या 20 से निर्धारित कर दी गयी है। बदले की भावना से झूॅठा मुकदमा प्रस्तुत किया है। जिसके सम्बन्ध में कोई भी स्वतन्त्र साक्ष्य श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी जबर सिंह व पुष्पेन्द्र सिंह , जितेन्द्र पिता एवं पुत्र हैं और विजय पाल उसके परिवार का ही व्यक्ति है। जिसमें इस तथ्य को नज़रन्दाज करके आदेश दिनांक

23.12.2014 पारित कराया गया है जो कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है। यह तथ्य इस बात से भी स्पष्ट है कि परिवाद की मद संख्या 4 में दिनांक के आगे ओवरराइटिंग किया गया है तथा धारा 156(3) का प्रार्थनापत्र विलम्ब से दिनांक 08.08.2011 को प्रस्तुत किया गया है और विजय पाल के डाक्टरी परीक्षण में यह तथ्य भी उल्लखित किया गया है कि उसके शरीर पर झगड़े में आयी चोटें हैं जो कि विजय पाल ने फर्जी बनाकर डाक्टरी परीक्षण कराया है जो पत्रावली पर दिनांक 06.08.2011 का है । जो कतई अविश्वसनीय है और न डाक्टरी परीक्षण साक्ष्य में ग्राह्य करने योग्य है। प्रार्थीगण के साथ आपसी पारिवारिक रंजिश होने के कारण परिवादी के यहां अपने रिश्तेदार को गार्टर पटियां दिलाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थी जबर सिंह , जनता इण्टर कालेज परसौन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तथा उसके पुत्र पुष्पेन्द्र व जितेन्द्र घटना के वस्त नावालिग थे और घटना में दर्शायी गयी गम्भीरता को कोई भी जाना पहचाना व्यक्ति कारित नहीं कर सकता है और बरवक्त घटना प्रार्थीगण को असलाहों से लैस बताया गया है। जबकि उक्त असलाहों व फर्सा की कोई चोट परिवादी के शरीर पर होना नहीं पायी गयी है । मात्र खुरसट की चोट परिवादी द्वारा बनाकर झूॅठा चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। घटना जहां की भी दर्शायी गयी है और गवाह जो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका वहां पहुॅचता कतई सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति मे तलवी आदिश दिनांक 23.12.2014 खण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त उन्मोचन प्रार्थनापत्र पर वादी मुकदमा व राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने आपत्ति की है तथा कहा है कि साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात् ही तलवी आदेश पारित किया गया है। अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि धारा 200 एवं 202 दं0प्र0सं0 के वयान के आधार पर दिनांक 23.12.2014 को अभियुक्तगण जबर सिंह , पुष्पेन्द्र व जितेन्द्र को धारा 392,324, 504,506 भा0दं0सं0 के तहत मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा विचारण हेतु तलब किया है। इस तलवी आदेश को अपास्त करने के लिऐ यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या यह न्यायालय अपने पूर्व तलवी आदेश को अपास्त कर सकता है ?

भूषण कुमार एवं अन्य प्रति स्टेट (एन0सी0टी0 आफ दिल्ली) एवं अन्य 2012(1) 29 सी0ए0एल0टी0 449 – इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि तलवी के बिन्दु पर आदो पारित करते समय न्यायालय को सिर्फ यह देखना होता है कि अभियोजन के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही के लिऐ प्रथम दृष्टया साक्ष्य है अथवा नहीं। तलवी आदेश पारित करते समय विस्तृत विस्तृत व गहन विवेचना साक्षियों की नहीं की जानी चाहिऐ। केवल इस आधार पर आदेश को अपास्त नहीं किया जा सकता कि कि आदेश गुण–दोष के आधार पर नहीं है। श्रीमती नगवा प्रति वी0एस0कोन्जाल्गी एवं अन्य 1976(3) एस0सी0सी0 पेज 736 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि :–

this Court held that it is not the province of the Magistrate to enter into a detailed discussion or the merits or demerits of the case. It was further held that in deciding whether a process should be issued, the Magistrate can take into consideration improbabilities appearing on the face of the complaint or in the evidence led by the complainant in support

of the allegations. The Magistrate has been given an undoubted discretion in the matter and the discretion has to be judicially exercised by him. It was further held that once the Magistrate has exercised his discretion, it is not for the High Court, or even this Court,to substitute its own, discretion for that of the Magistrate or to examine the case on merit with a view to find out whether or not the allegations in the complaint, if proved, would ultimately end in conviction of the accused.

अदालत प्रसाद प्रति रूप लाल जिंदल व अन्य 2004(50) ए 0सी0सी0 पेज 324 (एस0सी0)के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि :–The only remedy available to the accused against summoning order is to the jurisdiction of High Court in the proceeding under section 482 Cr.P.C.

अभियुक्तगण द्वारा तलवी आदेश को अपास्त करने की याचना की गयी है। यदि ऐसा किया गया तो यह पुर्नविलोकन की श्रेणी में आ जायेगा जो कि नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

– आदेश –

13–ब उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा अभी तक जमानतें नहीं कराई गयीं हैं। अतः जमानत सम्बन्धी प्रक्रिया का अनुपालन अग्रिम नियत दिनांक से पूर्व करना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते विरचित करने आरोप दिनांक 20.05.2016 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0)
अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं02,एटा
03.05.2016